

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलक्टर, कपासन जिला - चितौड़गढ (राज.)

कपासनी

85

शाकीण सेवा शिबिर - 2025



धारा अन्वर्त - 136

प्र.सं. 543/25 दायर दिनांक 03-10-25 निर्णय दिनांक 03-10-25

क्र.स.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश
1	दीशनी कास्बडा	159	<p>महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक /2025-26 /113 दिनांक 26.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।</p> <p>वर्तमान प्राविष्टी</p> <p>बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>राजस्थान ग्रामीण बैंक</p> <p>शुद्ध प्राविष्टी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>हस्ताक्षर पटवारी</p> <p>पटवार हत्का कपासनी</p> <p>तर. कपासन, जिला-चित्तौड़</p> <p>हस्ताक्षर गिरदावर</p> <p>हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार</p> <p>पदेन सहायक कलक्टर कपासन</p>	<p>कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर कपासन आदेश</p> <p>तहसीलदार कपासन की अनुशंषा स्वीकार की जाकर राज. भू.स. अधि. 1956 की धारा 136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम दीशनी कास्बडा प.ह. कपासनी</p> <p>खातासं 159</p> <p>में वर्तमान प्राविष्ट बडौदा क्षेत्रीय राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।</p> <p>(उपखण्ड अधिकारी)</p> <p>सहायक कलक्टर</p> <p>कपासन जिला-चित्तौड़गढ़</p>

प्रतिलिपि पालनार्थ:-

1. पटवारी पटवार मण्डल

कपासनी

को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद करे।

(उपखण्ड अधिकारी)

तहसीलदार कपासन

तहसीलदार(भू.अ.) कपासन